खेलों के क्षेत्र में सहयोग पर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय गणतंत्र की सरकार
और
खेल विभाग न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड सरकार
के बीच

समझौता ज्ञापन

खेलों के क्षेत्र में अपने विकासशील संबंधों को आगे विकसित करने के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय गणतंत्र की सरकार और खेल विभाग, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड सरकार जिन्हें इससे आगे "पक्षों" के रूप में उल्लिखित किया जाएगा, ने खेलों के क्षेत्र में अपने विद्यमान मैत्री संबंधों और सहयोग को प्रोत्साहित करने और मजबूती प्रदान करने की अभिलाषा से प्रेरित होकर निम्नलिखित समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है ।

यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी रूपरेखा तैयार करेगा जिसके अंतर्गत खेल विकास और उत्कृष्टता के क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच सहयोग के कार्यक्रमों के विस्तृत प्रस्तावों पर पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर संयुक्त रूप से विचार किया जाएगा ।

दोनों पक्ष अपनी-अपनी सरकारों की खेल एजेंसियों के माध्यम से यथोचित संपर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए समुचित प्रयास करेंगे ।

<u>दोनों पक्ष निम्नलिखित समझौते पर सहमत हुए हैं :</u>

1. <u>सहयोग के क्षेत्र</u>

1.1 सहयोग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों पक्ष कार्मिक क्षमता और बौद्धिक सम्पदा के हितों के अध्यधीन कार्यक्रमों, अनुभवों, कौशलों, तकनीकों, सूचना और ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित और संवर्धित करेंगे ।

1.2 इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा :

(क) खेलों के क्षेत्र में विशेषज्ञों, सरकारी पदाधिकारियों, कोचों और खिलाड़ियों का आदान-प्रदान ;

(ख) खेल विज्ञान कार्मिकों, खेल नेताओं, खेल प्रशासकों, पेशेवरों, तकनीकविदों और खेल सहायक कार्मिकों का आदान-प्रदान ;

(ग) खेल शिक्षण एवं पाठ्यक्रम सामग्री का आदान-प्रदान, पाठ्यक्रम-विकास, संयुक्त विकास और सामग्री के प्रकाशन पर सहयोग ;

(घ) खेल शिक्षा अर्हताओं और रोजगार अपेक्षाओं पर सूचना सहित खेल विकास और प्रशिक्षण पद्धतियों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान ;

(ङ) प्रशिक्षण में खेल अनुसंधान और विकास, खेल विज्ञान और डोप रोधी कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग

(च) प्रशिक्षण, आदान-प्रदान और सम्बद्ध कार्यक्रमों तथा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में आदान-प्रदान सहित शारीरिक शिक्षा और स्वस्थता विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग ;

(छ) खिलाड़ियों और टीमों का प्रशिक्षण और प्रतियोगिता ;

(ज) कोचों के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता ;

(झ) कोच शिक्षा, पाठ्यक्रम-विकास, खेल शिक्षा, खेल प्रबंधन, खेल अवसंरचना विकास और प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण, आदान-प्रदान और सहायता कार्यक्रम ;

(ञ) खेलों के क्षेत्र में सूचना एवं अनुसंधान के विकास के लिए प्रशिक्षण और अवसंरचना प्रौद्योगिकी और कार्यक्रमों का आदान-प्रदान ;

(ट) बैठकों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों के माध्यम से सम्पर्क ;

(ठ) समझौता ज्ञापन की रूपरेखा के अंतर्गत परस्पर लाभ के लिए उपयुक्त और आवश्यक समझे जाने वाले कोई अन्य क्षेत्र एवं विषय ।

2. <u>वित्त पोषण</u>

2.1 इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सभी सहयोगात्मक कार्यकलाप और कार्यक्रम निधियों और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन होंगें ।

2.2 भ्रमणकारी पक्ष अपनी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय यात्रा के खर्चों सहित अपनी भागीदारी के सभी खर्चे वहन करने के लिए उत्तरदायी होंगे बशर्ते कि दोनों पक्ष लिखित रूप में अन्यथा कोई निर्णय न कर लें ।

2.3 भ्रमणकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी ओर से यात्रा करने वाला कोई प्रतिनिधि अपने नियत प्रस्तान से पूर्व पर्याप्त चिकित्सा व यात्रा बीमा अर्जित कर ले ।

3. <u>कार्यान्वयन</u>

3.1 इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों पक्ष बैठकों, पत्रों के आदान-प्रदान या अन्य लिखतों के माध्यम से विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और विकास के लिए आवश्यक प्रबंध करेंगें ।

3.2 प्रत्येक पक्ष अपनी ओर की योजनाओं/कार्यकर्मों के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।

4. <u>विदेशी मंत्रालयों से संबंध</u>

4.1 दोनों पक्ष अपने-अपने विदेशी मामलों के विभाग को इस समझौते ज्ञापन के कार्यान्वयन के बारे में सूचित रखेंगे ।

5. <u>संशोधन</u>

5.1 यह समझौता ज्ञापन अपने अनुबंधों सहित दोनों पक्षों की आपसी लिखित सहमति से संशोधित किया जाएगा । ये संशोधन दोनों पक्षों द्वारा निश्चित तारीख से प्रभावी होंगे ।

6. <u>मतभेदों का निपटान</u>

6.1 दोनों पक्षों के बीच इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या कार्यान्वयन से पैदा हुए मतभेद आपसी परामर्श द्वारा शांतिपूर्व ढंग से निपटाए जाएंगे ।

7. प्रभाविता एवं पर्यवसान

7.1 यह समझौता ज्ञापन उस पर हस्ताक्षर होने की तारीख से प्रभावी होगा और तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

7.2 इस अवधि के समाप्त होने पर यह समझौता ज्ञापन आपसी लिखित सहमति से और आगे तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है ।

7.3 इस समझाता ज्ञापनका पर्यवसान किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को छः (6) महीने का नोटिस देकर किया जा सकता है ।

7.4 इस समझौता ज्ञापन का पर्यवसान समझौता ज्ञापन के अधीन प्रचलित कार्यकलापों और/अथवा कार्यक्रमों की वैधता और अवधि को प्रभावित नहीं करेगा जो पूरा होने तक जारी रहेंगे बशर्ते कि दोनों पक्ष आपस में मिलकर अन्यथा निर्णय न करें ।

नई दिल्ली में 19 अक्तूबर, 2012 को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के दो-दो पाठों में हस्ताक्षरित । दोनों पाठों की वैधता समान है । तथापि, इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या के संबंध में कोई शंका होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

भारतीय गणराज्य की सरकार की ओर से	न्यूजीलैंड सरकार की ओर से
नाम : पी.के. देब	नाम : सुश्री जेन हेंडरसन
पदनाम : सचिव (खेल विभाग), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	पदनाम : भारत में न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त